पत्र संख्या-चरित्र पंजिका सेल-सामान्य पत्र व्यवहार-2019-20// 5944 //वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश.

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक //मार्च, 16 2020

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-3314 दिनांक-28-10-2014 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसमें शासनादेश सं0-06/1/1976 कार्मिक-2 दिनांक-21-05-1976 एवं शासनादेश सं0-36/1/1976 कार्मिक-2 लखनऊ दिनांक-30-10-1986 में दिये गये प्राविधानानुसार समूह-ग श्रेणी के कार्मिकों को वर्ष 2013-14 से प्रदान की जा रही वार्षिक प्रविष्टियों हेतु प्रतिवेदक एवं स्वी कर्ता अधिकारी निर्धारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि अराजपत्रित श्रेणी के जिन कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं का रख-रखाव मुख्यालय पर किया जा रहा है उनकी वार्षिक प्रविष्टियॉ पूर्ण कराकर एवं स्वीकर्ता अधिकारी (एक स्तर उच्च अधिकारी) से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए प्रत्येक दशा में 15 मई की तिथि तक मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जायें।

मुख्यालय के उपरोक्त परिपत्र दिनांक-28-10-2014 द्वारा भेजे गये स्पष्ट निर्देशों एवं अनुस्मारक पत्र सं0- 2365 , दिनांक 05-08-2016 तथा अनुस्मारक पत्र सं0- 307, दिनांक 23-04-2019 भेजे जाने के बावजूद अधिकांश कार्मिकों की मुख्यालय को उपलब्ध करायी जा रही वार्षिक प्रविष्टियॉ स्वीकर्ता अधिकारी (एक स्तर उच्च अधिकारी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। बहुधा यह भी देखा जा रहा है कि कतिपय कार्मिकों को प्रदान की गई वार्षिक प्रविष्टि की मूलप्रति मुख्यालय को प्रेषित ही नहीं की जाती है, अपितु इसके स्थान पर वार्षिक प्रविष्टि की छायाप्रति उनकी चरित्र पंजिकाओं मे चस्पा किये जाने हेतु मुख्यालय को प्रेषित की जा रही है।इसके अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक को अंकित की गयी वार्षिक प्रविष्टि प्रतिकूल है तो उसे सक्षम स्वीकर्ता अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर संबंधित कर्मचारी को संसूचित कराये बिना ही मुख्यालय को प्रेषित कर दी जाती है।अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अपनायी जा रही इस प्रकार की अनियमित प्रक्रिया शासन / मुख्यालय के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अत:आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके परिसम्भाग / सम्भाग के अन्तर्गत तैनात अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियॉ उपरोक्त निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराकर मुख्यालय को भिजवाए जाने हेतु निम्न **दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए :-**

1- संबंधित कार्मिकों को अंकित की गयी वार्षिक प्रविष्टियॉ मुख्यालय के उपरोक्त पत्रांक-3314 दिनांक-28-10-14 में दिए गए निर्देशानुसार सक्षम स्वीकर्ता अधिकारी के स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित /

स्वीकृत कराकर ही चरित्र पंजिका में चस्पा करायी जाये तथा तदनुसार मुख्यालय में अनुरक्षित चरित्र पंजिकाओं में चस्पा किये जाने हेतु अग्रसारित की जाये।

2- वार्षिक प्रविष्टियों की मूल प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ही सक्षम स्तर से प्रेषित की जाये, वार्षिक प्रविष्टि की छाया प्रति मुख्यालय को कदापि प्रेषित न की जाये।

3- यदि किसी कार्मिक को कोई प्रतिकूल प्रविष्टि / दण्डादेश प्रदान किया गया हो तो उसे संबंधित कार्मिक को तत्काल संसूचित कराकर उसकी तामीली / प्रत्यावेदन आदि की स्थिति की सूचना भी मुख्यालय को उपलब्ध करायें जिससे संबंधित कार्मिक के सेवा संबंधी मामले के निस्तारण के समय किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो सकें।

स्मरण रहे कि यदि उपरोक्त निर्देशों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठाकंन संख्या व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि:-

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

2- पटल प्रभारी स्था-5क, 5ख, 5ग, 4क, 4ख, 4ग, 4घ, 3क, 3ख, स्था-6 सामान्य, वाणिज्य कर मुख्यालय तथा चरित्र पंजिका प्रकोष्ठ के समस्त पटल प्रभारियों को इस आशय से कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

16/03/2020

(राजेश कुमार)
डिप्टी कमिश्नर (स्था0अरा0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

पत्र संख्या- स्था0अराज0/चरित्र पंजिका प्रकोष्ठ/ 2014-15// 3314 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश
(स्था0अराज0/चरित्र पंजिका प्रकोष्ठ)
लखनऊ :: दिनॉक 28 अक्टूबर 2014

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर नोएडा
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 /2वाणिज्यकर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।

प्राय: यह देखा जा रहा है कि लिपिक संवर्ग के कार्मिको को उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ स्वीकर्ता अधिकारी के स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित नही की जा रही है , जबकि शासनादेश संख्या-06/1/1976 कार्मिक-2 दिनॉक 21-05-1976 एवं शासनादेश संख्या-36/1/1976 कार्मिक-02 लखनऊ दिनॉक 30-10-1986 में अराजपत्रित कर्मचरियो की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के सम्बन्ध मे उल्लेख किया गया है कि श्रेणी घ के कर्मचारियो के सम्बन्ध में प्रविष्टि उसी अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी, जिसके साथ वह कर्मचारी सरकारी कार्य के निष्पादन में सम्बद्ध रहा हो । इस वर्ग के कर्मचारियो के लिए एक ही स्तर की प्रविष्टि पर्याप्त मानी जायेगी । अन्य अराजपत्रित कर्मचारियो के सम्बन्ध में प्रविष्टि लिखने के लिए दो स्तर-प्रतिवेदक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी नियत किये जाएगें ।

सरकारी सेवक के कार्य का मूल्याकंन वित्तीय वर्ष को आधार मानकर किया जाता है । शासनादेश संख्या-36/1/76-का0-दिनॉक 15-03-1977 द्वारा सरकारी सेवक की चरित्र पंजी में वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु निम्निलिखित समय सारिणी नियत की गयी है ।

अराजपत्रित कर्मचारियो की वार्षिक प्रविष्टियॉ प्रत्येक दशा में दिनॉक-15-मई तक पूर्ण कर ली जायें । जिन मामलो में प्रविष्टियॉ लिखने के दो स्तर प्रतिवेदक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी निर्धारित हो उनमें प्रतिवेदक प्राधिकारी अपनी संस्तुति 30 अप्रैल तक अवश्य ही स्वीकर्ता प्राधिकारी को उपलब्ध करा दे, जो अपना मन्तव्य अंकित करते हुये प्रविष्टि को 15 मई तक पूरी करा देगें ।

उपरोक्त शासनादेश दिनॉक-25-05-76 एवं शासनादेश दिनॉक-30-10-86 में दिये गये प्रविधानानुसार (समूह ग श्रेणी) लिपिकीय संवर्ग के कार्मिको को वर्ष 2013-14 से प्रदान की जा रही वार्षिक प्रविष्टियो हेतु प्रतिवेदक एवं स्वीकर्ता अधिकारी निम्न प्रकार नियत किये जाते है :-

1-प्रतिवेदक अधिकारी - जिसके साथ सम्बन्धित कर्मचारी सरकारी कार्य के निष्पादन हेतु सम्बद्ध रहा हो ।
2-स्वीकर्ता अधिकारी - कार्यालय अध्यक्ष अथवा एक उच्च स्तर का सक्षम अधिकारी ।

अत: आप से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये वर्ष 2013-14 तथा उसके आगे की अवधि हेतु प्रदान की जा रही वार्षिक प्रविष्टियो को निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदक अधिकारी के स्तर से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे तथा जिन कार्मिकों की चरित्र पंजिकायें मुख्यालय पर उपलब्ध है, उन कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियॉ मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायें।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
एडीशनल कमिश्नरप्रशासन)वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पृष्ठाकन संख्या व दिनॉक// उक्त ।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाना सुनिशिचित करे :-

1-**ज्वाइन्ट कमिश्नर** (आई0टी0)**वाणिज्यकर मुख्यालय, लखनऊ को** इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त परिपत्र विभागीय वेवसाइड में अपलोड करा लें ।
2-समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।
4-पटल प्रभारी स्था0-5-क,5-ग,4-क,4ख,4-ग,4-घ,5-ख,3-ख ।

(डी0सी0गुप्ता)
डिप्टी कमिश्नर (स्था0अराज0)वाणिज्यकर
मुख्यालय लखनऊ ।